निगरानी प्र.क्र. : /2019

(2)

मान्नीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

(निगरानी-0544/2019/धार/भू.रा.)

दीपक पिता श्री एस. एन. सूर्यवंशी,
निवासी झिराबाग, धार, (म.प्र.) ... प्रार्थी

वि रु द्ध

01. मृणालिनीदेवी बेवा आनंदराव पवाँर
फोत वारिस :
अ. कार्तिकराजे पिता मुराररराव घोरपड़े,
निवासी नंबर टी–3, लीगसी कसेरो
जक्कुर प्लांटेशन, येलहांका,
बैंगलुरु (कर्नाटक)

02. नजमुद्दीन पिता आबिद हुसैन,
निवासी बोहरा बाखल, धार, (म.प्र.) ... प्रतिप्रार्थीगण

:: निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ::

C.F. 1/5/2019

निगरानी बनाराजगी, न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा द्वितीय अपील प्र.क. 0041/अपील/2017–2018 में पारित आदेश दिनांक 04/04/2019 जिससे कि प्रार्थी की अपील निरस्त करते हुए न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) क्षैत्र धार, जिला धार द्वारा प्रथम अपील राजस्व प्रकरण क्रमांक /57/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 जिसके द्वारा अपीलांट की अपील निरस्त की गई और विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/अ–6–अ/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2015 को कन्फर्म किया गया।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नानुसार निगरानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0544/2019/धार/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-5-2019	आवेदक की ओर से कु. विजयपाल, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 (2)(ख) के अंतर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	